



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2445


दिनांक 29/8/23


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा	श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री देवी सहाय शर्मा	E-12 (East Part)	1024.57 वर्गगज	सहकारी समिति	अशोक विहार ई, मुहाना, सांगानेर, जयपुर	लीजडीड हेतु	उपहार पत्र के आधार पर
2.	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा	श्री देवी सहाय शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा	E-10 (East Part)	1038.88 वर्गगज	सहकारी समिति	अशोक विहार ई, मुहाना, सांगानेर, जयपुर	लीजडीड हेतु	उपहार पत्र के आधार पर
3.	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री देवी सहाय शर्मा	श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री देवी सहाय शर्मा	E-12 (West Part)	1038.88 वर्गगज	सहकारी समिति	अशोक विहार ई, मुहाना, सांगानेर, जयपुर	लीजडीड हेतु	उपहार पत्र के आधार पर
4.	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री देवी सहाय शर्मा	श्री देवी सहाय शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा	E-10 (West Part)	1038.88 वर्गगज	सहकारी समिति	अशोक विहार ई, मुहाना, सांगानेर, जयपुर	लीजडीड हेतु	उपहार पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर।
ज.वि.प्रा. जोन-11
जयपुर


उपायुक्त जोन-11
जयपुर।
उपायुक्त जोन-21
ज.वि.प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक: LU2012/JDA/2023-24/102551

दिनांक: 25/08/2023

लोक सूचना

प्रभूनारायण पुत्र भंवरलाल जाति जाट, बाबूलाल पुत्र पोकरराम, रामफूल पुत्र भंवरलाल, रामेश्वर पुत्र पोकरराम, शंकरलाल पुत्र पोकरराम सा. मोहनपुरा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बालावाला, सांगानेर (जयपुर)	प्रभूनारायण पुत्र भंवरलाल हि. 1/8 जाति जाट, बाबूलाल पुत्र पोकरराम हि. 1/4,	275	2700	0.27
		रामफूल पुत्र भंवरलाल हि. 1/8, रामेश्वर पुत्र पोकरराम हि. 1/4,	276	4300	0.43
		शंकरलाल पुत्र पोकरराम हि. 1/4 सा. मोहनपुरा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर	277	2600	0.26
			278	4200	0.42
				कुल	1.38

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसआ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **25-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



167
31/8/23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1734

दिनांक 31/8/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जो न	आवेदक का नाम	भूखण्डधारि का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री शिवेन्द्र कुमार मुकीम, श्री भूपेन्द्र कुमार मुकीम, श्री पुष्पेन्द्र कुमार मुकीम एवं रियल स्टेट प्रा0लि0	श्री शिवेन्द्र कुमार मुकीम, श्री भूपेन्द्र कुमार मुकीम, श्री पुष्पेन्द्र कुमार मुकीम एवं रियल स्टेट प्रा0लि0	49, -50 एवं ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 88/02	आवासीय	आदर्श गृ.नि.स. स. की योजना रत्नापुरी (स्कीम नं.-04)	2866.12 वर्गगज	व्यावसायिक	व्यावसायिक


8

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जविप्रा, जयपुर
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1728

दिनांक 31/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अनुप सिंह	मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि.	बी- 133	311.11 व.मी.	निजी खातेदारी	वैशाली एस्टेट ब्लॉक बी	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र


उपायुक्त, जोन- 7
उपायुक्त एवं प्रजिप्रा, जयपुर
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/102705

दिनांक:- 29-8-2023


लोक सूचना

स्वागत बिल्डकोन प्रा0 लि0, हिस्सा-पूर्ण, सा. एस-13ए, महावीर मार्ग स्कीम, जयपुर खातेदार जरिये डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र श्री नवरतन अग्रवाल, जाति-महाजन ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-


क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-अजबगढ उर्फ हाडी का बास, तहसील-जमवारामगढ, जिला-जयपुर	स्वागत बिल्डकोन प्रा0 लि0, हिस्सा-पूर्ण, सा. एस-13ए, महावीर मार्ग स्कीम, जयपुर खातेदार जरिये डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र श्री नवरतन अग्रवाल, जाति-महाजन	49	0.1900
			62	0.0600
			61	1.9100
			130/65	3.6500
			किता-05	5.8100


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-8-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियों इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय: सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित हैरिटेज सिटी की रोडो/चौपडो में आ रही भूमि की सार्वजनिक सूचना संलग्न कर प्रकाशन कराये जाने हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जो-10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर


जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 10/2023/डी-

दिनांक:

31/8/23

1714



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1715

दिनांक 31/8/23

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित न्यू हैरिटेज सिटी की चौपड की 36 मीटर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 507 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि के खातेदार/खातेदारो/वारिसान रेखा देवी पत्नी पूरणमल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत है।

सभी संबंधिजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-10 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात यदि कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।